



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 () परावि/पीसी/RGPSA/बजट/2013-14/ २२९

जयपुर, दिनांक : 03/07/2014

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 12 /2014-15)

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के राज्योश की राशि रूपये 70,28,000/- (अक्षरे राशि रु. सत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र) संबंधित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में संलग्न सारणी के कॉलम संख्या-7 में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशानुसार ही किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

मांग सं. -41	मांग सं. -30	कुल योग
(28)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12- सहायताार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	(29) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 93- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायताार्थ अनुदान (आयोजना)	
राशि रु. : 47,70,000 अक्षरे राशि रु. सैतालीस लाख सत्तर हजार मात्र	राशि रु. : 22,58,000 अक्षरे राशि रु. बाईस लाख अठ्ठावन हजार मात्र	रु. : 70,28,000 अक्षरे राशि रु. सत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331400389 दिनांक 23.6.2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। जिला परिषद का उत्तरदायित्व होगा कि व्यय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे तथा राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रूपये 70,28,000/- (अक्षरे राशि रु. सत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र) संबंधित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावे।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायती राज विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
7. लेखाधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
8. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. लेखा /सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

अधिशायी अभियन्ता (प्रो.)

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त राशि का जिलावार आवंटन

क्र. स.	जिला परिषद	पंचायतों की संख्या	मांग व बजट मदवार राशि		
			41-2515-196-(28)-[02]-12-	30-2515-196-(29)-[02]-93-	Total
1	अजमेर	11	144148	68236	212384
2	अलवर	42	550385	260538	810923
3	बारां	9	117940	55830	173770
4	भरतपुर	45	589698	279148	868846
5	भीलवाडा	67	877995	415621	1293616
6	बीकानेर	12	157253	74440	231693
7	बुन्दी	12	157253	74440	231693
8	चुरू	19	248984	117863	366847
9	दौसा	16	209670	99253	308923
10	धौलपुर	7	91731	43423	135154
11	गंगानगर	12	157253	74440	231693
12	जयपुर	41	537280	254335	791615
13	झुंझूनू	5	65522	31016	96538
14	जोधपुर	11	144148	68236	212384
15	कोटा	20	262088	124066	386154
16	नागौर	17	222775	105456	328231
17	पाली	7	91731	43423	135154
18	राजसमन्द	2	26209	12407	38616
19	सीकर	9	117937	55829	173766
TOTAL		364	4770000	2258000	7028000

अधिसूचना
पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर